

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 13/2018-Customs**

G.S.R. 116 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with clause 108 of the Finance Bill, 2018 (4 of 2018), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the Social Welfare Surcharge leviable on Integrated tax under sub-section (7), and Goods and Services Tax compensation cess under sub-section (9), of section 3 of the said Customs Tariff Act read with the said clause 108 of the Finance Bill.

[F. No. 334/04/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं.14/2018-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 82/2017- सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 2 में, स्तंभ (2) में, “,5007” अंकों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“2क	5007	सभी माल	20%”।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 1/2018-सीमाशुल्क, तारीख 5 जनवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 14(अ), तारीख 5 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।